न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 बाराबंकी

विशेष आपराधिक वाद संख्या–313/2018

चरनदीप पुत्र स्व0 रामनाथ कोरी, निवासी चकतारा, थाना असन्द्रा, जिला बाराबंकी– – – – – – – – – – – – – – – –परिवादी

प्रति

1– दीपराम पुत्र भगौती प्रसाद तिवारी
2– जयप्रकाश पुत्र भगौती प्रसाद तिवारी
3– सूरज पुत्र विजय नरायन निवासीगण ग्राम चकतारा थाना असन्द्रा जिला बाराबंकी–– – ––– – – – – – – – – – – – विपक्षीगण।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3)दं0प्र0सं0
थाना–असन्द्रा, जिला बाराबंकी।,

आदेश

आवेदक/प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3)दं0प्र0सं0 थाना–असन्द्रा, जिला बाराबंकी अभियोग पंजीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायालय के आदेश दिनॉ–13–12–2018 द्वारा परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया है।

परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी कोरी बिरादरी का गरीब ब्यक्ति है। उसके घर के सामने दीपराम मिश्रा का मकान है तथा खेत भी मिला हुआ है। दीपराम पैसे वाले दबंग है और उनके आतंक से उसका परिवार डरा हुआ है। उसके मकान के पनारे का पानी दीवाल उठाकर दीपराम ने बन्द कर दिया तथा खेत मेड़ भी काट कर अपने खेत में मिला लिया। जब उसने इसका विरोध किया तो इसी बात पर दिनॉक–27.07.2018 को 9.00 बजे विपक्षीगण उसके दरवाजे पर आकर जातिसूचक साले कोरी व मॉ बहन की भद्दी भद्दी गालियॉ देने लगे। उसने मना किया तो यह तीनों लोग उसके घर में घुसकर लाठी डण्डों से मारा पीटा। उसके शोर पर हंसराज छविनाथ व सुदामा देवी व तमाम लोग आ गये तब तीनों लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गये। प्रार्थी उसी दिन थाने पर शिकायत करने गया परन्तु रिपोर्ट नहीं लिख न ही उसकी डाक्टरी कराई। उसने स्वयं जिला अस्पताल में डाक्टरी करवाई जिसमें उसके बाये हाथ की उॅगली टूटी पाई गई। दिनॉक–3.8.2018 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया तथा 20.08.2018 को मुख्यमॅत्री को प्रार्थना पत्र दिया। किसी प्रकार की कार्यवाही न होने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी/आवेदक ने स्वयं को धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया है जिसमें उसने कहा है कि उसके गॉव के विपक्षी दीपराम ने उसके खेत की मेड़ काट डाली। उसका पुश्तैनी पनारा का पानी गिरता था वहॉ अपनी दीवाल खडी कर पानी गिराना बन्द कर दिया। प्रार्थी ने जब इसका विरोध किया तो दिनॉक–27.07.2018 को सुबह 9.00 बजे विपक्षीगण दीपराम, जयप्रकाश एवं सूरज लाठी डण्डा लेकर उसके दरवाजे पर आये और मॉ बहन की गन्दी गन्दी गालियॉ देते हुए मारने दौड़े। उसने बचने के लिए घर में घुस गया वहॉ भी लात घूँसों व लाठी डण्डे से मारा पीटा एवं जान से मारने की ामकी दिया। मार पीट से उसकी उॅगली की हड्डी टूट गई थी।

पी0डब्ल्यू–2 छविनाथ ने धारा–202 दं0प्रसं0 के अन्तर्गत सशपथ बयान में कहा है कि दिनॉक–27.07.2018 को सुबह 9.00 बजे विपक्षीगण ने प्रार्थी चरनदीप का पनारा दीवाल उठाकर बन्द कर दिया तथा खेत की मेड़ काट दी थी। इसी बात को लेकर तीनों विपक्षीगण प्रार्थी/आवेदक के घर में घुसकर लाठी डण्ड़े से मारे पीटे तथा चरनदीप को साले कोरी व अन्य तरह की गन्दी गन्दी गालियॉ दिया था। प्रार्थी के शोर पर साक्षी तथा हंसराज, सुदामा देवी मौके पर पहुॅचकर बीच बचाव कराया था। विपक्षीगण ने जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पी0डब्ल्यू–3 हंसराज ने धारा–202 दं0प्रसं0 के अन्तर्गत सशपथ बयान दिया है कि घटना लगभग नौ साल पहले सुबह 9.00 बजे की है। वह अपने घर पर था। बरसात का मौसम था। गॉव के दीपराम ने चरनदीप के पनारे का पानी दीवाल खड़ी करके बन्द कर दिया। दीपराम जय प्रकाश व सूरज जो सवर्ण जाति के है, ने चरनदीप के खेत की मेड़ काट दिया था इसी बात को लेकर चरनदीप को उनके घर में घुसकर मार पीट रहे थे। शोर पर साक्षी तथा अन्य लोग मौके पर पहुॅचकर बीच बचाव कराया था। विपक्षीगण ने जातिसूचक गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। चरनदीप को काफी चोटें आई थी।

सुना। पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले की पीड़ित द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि दिनॉक–27.07.2018 को सुबह 9.00 बजे विपक्षीगण ने उसके खेत की मेड़ काट दी। उसका पुश्तैनी पनारा का पानी गिरता था वहॉ

पर विपक्षीगण ने दीवाल खडी कर पानी बन्द कर दिया। उसने जब इसका विरोध किया तो दिनॉक—27.07.2018 को सुबह 9.00 बजे विपक्षीगण लाठी डण्डा लेकर उसके दरवाजे पर मॉ बहन की गन्दी गन्दी गालियॉ देते हुए मारने दौड़े। बचने के लिए वह घर में घुस गया वहॉ भी लात घूँसों व लाठी डण्डे से मारा पीटा। पीड़ित एवं उसकी ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्ल्यू—2 छविनाथ एवं पी0डब्ल्यू—2 हंसराज की साक्ष्य से घटना का समर्थन होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपने साथ हुई कथित घटना का समर्थन अपने बयान अन्तर्गत धारा—200 दं0प्र0सं0 के साथ—साथ शपथ पत्र के द्वारा घटना का पूर्णतया समर्थन किया है।

अतः प्रार्थी/आवेदक एवं उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा—200, एवं 202 दं0प्र0सं0 एवं शपथ पत्र के आधार पर विपक्षीगण दीपराम, जय प्रकाश एवं सूरज को धारा—452,385,323,504,506, भा0दं0सं0 एवं धारा—3 (1)(द)व (ध) एवं 3 (2) (va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन आहूत कर उनका विचारण किया जाना न्याय संगत होगा।

आदेश

विपक्षीगण दीपराम, जय प्रकाश एवं सूरज को धारा—452,385,323,504,506, भा0दं0सं0 एवं धारा—3 (1)(द)व (ध)एवं 3 (2) (va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन आहूत किया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण/विपक्षीगण के विरूद्ध समन जारी हो।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण दिनॉक—23.12.2019 को पेश हो।

(नित्यानन्द श्रीनेत)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0अधि0/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।

दि0—05.11.2019